रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252482
CG-DL-E-29022024-252482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 146(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 7 में, खंड (1) से (6) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित खंड तथा स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(क) अल्पकालिक संविदाओं या पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत के क्रय और विक्रय के लिए, किसी भी पूर्व अनुमोदित पहुंच सहित, पहुंच को पूरी तरह से विनियमित किया जाएगा:

परंतु यह कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, ग्रिड सुरक्षा के लिए असाधारण परिस्थितियों में, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात्, इन नियमों के अधीन पहुंच के विनियमन का अस्थायी रूप से पुनरीक्षण कर सकता है;

(ख) पहुंच के विनियमन के प्रारंभ के एक माह पश्चात्, या यदि शोध्य राशि साढ़े तीन माह तक असंदत्त रहती है, तो पहले से ही मौजूद पहुंच के विनियमन के अतिरिक्त, अल्पकालिक संविदाओं से भिन्न अन्य संविदाओं के माध्यम से विद्युत के क्रय और विक्रय के लिए पहुंच को दस प्रतिशत तक विनियमित किया जाएगा।

(ग) अल्पकालिक संविदाओं से भिन्न संविदाओं के माध्यम से विद्युत के क्रय और विक्रय के लिए पहुंच को ऐसी रीति से कम किया या वापस लिया जाएगा कि आहरण या अंत:क्षेपण शेड्यूल में कमी की मात्रा व्यतिक्रम के प्रत्येक माह के लिए उत्तरोत्तर दस प्रतिशत बढ़ जाए;

(घ) बकाया शोध्यों के संदाय पर, इस नियम के अधीन पहुंच का विनियमन समाप्त हो जाएगा, और संदाय करने के दिन को छोड़कर, शीघ्रातिशीघ्र, परंतु एक दिन के अपश्चात्, इसे प्रत्यावर्तित किया जाएगा;

(ङ) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र इन नियमों के अनुसार पहुंच के विनियमन को लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगा;

(च) आहरण शेड्यूल में इस तरह की कमी के मामले में, उत्पादन स्टेशन में अपने मूल हिस्से के लिए क्षमता प्रभारों के संदाय के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों के भुगतान का दायित्व भी विनियमित इकाईयों के पास रहेगा;

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(i) अभिव्यक्ति "अल्पकालिक संविदा" से एक वर्ष तक की अवधि के लिए विद्युत के क्रय या विक्रय की संविदा अभिप्रेत है;

(ii) 'पहुंच' पद से अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक खुली पहुंच अभिप्रेत है।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात्-

“(1) एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक उत्पादन कंपनी से, जिसके साथ उसने विद्युत क्रय का करार किया है, प्रत्येक दिन के लिए विद्युत की अध्यपेक्षा के लिए, अपने कार्यक्रम की सूचना उस दिन के लिए डे अहेड मार्किट में प्रस्ताव या बोली लगाने के लिए समय समाप्त होने से कम से कम दो घंटे पहले देगा, ऐसा न करने पर उत्पादन कंपनी, समुचित आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट रैंपिंग और स्टार्ट-अप क्षमता की सीमा के अध्यधीन, पावर एक्स्चेंज में शट-डाउन के अधीन इकाई की घोषित क्षमता की तुलना में उपलब्ध विद्युत सहित गैर- अध्यपेक्षित अधिशेष विद्युत का प्रस्ताव करेगी:

परंतु यह कि यदि उत्पादन कंपनी द्वारा इस प्रकार प्रस्तावित की गई विद्युत को डे-अहेड मार्केट में मंजूरी नहीं दी जाती है, तो इसके लिए पावर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट सहित अन्य बाजार क्षेत्रों में प्रस्ताव दिया जाएगा:

परंतु यह और कि बाजार में विद्युत का ऐसा प्रस्ताव समुचित आयोग द्वारा यथानिर्धारित या अंगीकृत या अधिनियम की धारा 11 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेशों के अधीन परिकलित, यदि लागू है, ऊर्जा प्रभार के 120% के साथ प्रयोज्य पारेषण प्रभारों से अधिक कीमत पर नहीं होगी:

परंतु यह भी कि यदि उत्पादन कंपनी, पावर एक्सचेंज में ऐसी गैर-अध्यपेक्षित अधिशेष विद्युत का प्रस्ताव करने में असफल रहती है, तो घोषित क्षमता तक पावर एक्सचेंज में प्रस्ताव न की गई सीमा तक गैर-अध्यपेक्षित अधिशेष विद्युत नियत प्रभारों के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं मानी जाएगी”

(ख) उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, इस नियम के उप-नियम (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगा।"

[फा. सं. 23/22/2019-आर एंड आर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 416 (अ) तारीख 3 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, namely:-

1. **(1)** These rules may be called the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 7, for clauses (1) to (6) and explanation, the following clauses and explanation shall be substituted, namely:-

"(a) access, including any previously approved access, for the sale and purchase of electricity through short-term contracts or power exchange, shall be regulated entirely:

Provided that the National Load Despatch Centre may, in exceptional circumstances for grid security, temporarily review the regulation of access under these rules, after recording the reasons, in writing;

(b) one month after the commencement of regulation of access or if the dues remain unpaid for three and a half months, access for sale and purchase of electricity through contracts other than the short-term contracts shall be regulated by ten per cent, in addition to the regulation of access already in place;

(c) the reduction or withdrawal of access for sale and purchase of electricity through the contracts other than the short-term contracts shall be in such manner that the quantum of reduction in drawl or injection schedule increases progressively by ten per cent for each month of default;

(d) on payment of outstanding dues, the regulation of access under this rule shall end, and it shall be restored at the earliest, but not later than one day, excluding the day on which payment is made;

(e) the National Load Despatch Centre shall issue the detailed procedure to implement the regulation of access according to these rules;

(f) in case of such reduction of drawl schedule, the liability for payment of capacity charges for its original share in the generating station as also the inter-state transmission charges shall remain with the regulated entity.

Explanation. - For the purposes of this rule, it is hereby clarified that, -

(i) the expression "short - term contract" means the contract for sale or purchase of electricity for a period up to one year;

(ii) the term "access" means the open access to Inter-State Transmission System."

3. In said rules, in rule 9,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A distribution licensee shall intimate its schedule for requisitioning power for each day from each generating company with which it has an agreement for purchase of power at least two hours before the end of the time for placing proposals or bids in the day ahead market for that day, failing which the generating company, shall offer, the un- requisitioned surplus power including the power available against the declared capacity of the unit under shut down, in the power exchange, subject to the limitation of ramping and start up capability as specified by the Appropriate Commission:

Provided that if the power so offered by the generating company is not cleared in Day-Ahead Market, it shall be offered in other market segments, including the Real Time Market, in the power exchange:

Provided further that such offer of power, in the market shall be at a price not exceeding 120 per cent of its energy charge, as determined or adopted by the Appropriate Commission or calculated under the directions, issued by the Central Government, under section 11 of the Act, if applicable, plus applicable transmission charges:

Provided also that if the generating company fails to offer such un-requisitioned surplus power in the power exchange, the un-requisitioned surplus power to the extent not offered in the power exchange up to the declared capacity shall not be considered as available for the payment of fixed charges."

(b) after sub-rule (5), the following sub- rule shall be inserted, namely:-

"(6) Within fifteen days of commencement of the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) (Amendment) Rules, 2024, the National Load Despatch Centre shall issue a detailed procedure to implement the provisions of the sub-rule (1) of this rule."

[F. No. 23/22/2019-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 416 (E), dated the 3rd June 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.02.29 21:59:32 +05'30'